न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :–   अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः–11/21 [illegible]   निर्णय दिनांकः– 18-2-21

1 श्री प्रतापसिंह पिता शीवसिंह चौहान जाति राजपुत निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

2 श्री गुलाबसिंह पिता शीवसिंह चौहान जाति राजपुत निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

3 श्री रामसिंह पिता शीवसिंह चौहान जाति राजपुत निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

4 श्री निर्भयसिंह पिता शीवसिह चौहान जाति राजपुत निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

5 श्री अशोक पिता नाथा दर्जी जाति दर्जी निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

6 श्री डायालाल पिता म्यारामजी लौहार जाति लौहार निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

अपार्थी

विषय– मौजा पीठ मे हम काश्तकारों के खेतों में पीढीयों से चले आ रहे आने जाने के रास्ते के पुराने मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में पैमुद में कर रास्ता कायम करने बाबत।

<u>प्रार्थना पत्र 251 राजस्थानी काश्तकार अधिनियम</u>

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि प्रार्थीगण ग्राम पीठ तहसील सीमलवाडा के स्थायी निवासी है। प्रार्थीगण मेहनत मजदूरी व काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है। प्रार्थी संख्या 1 से 4 के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी ग्राम पीठ में कमशः खाता सख्या 573 कुल खसरा नम्बर 2244, 2245, 2246, 2247, 2248 2249, 2251, 2252, 2253, 2353, 2354, 2355, 2356, 2359, 2382, 2383, 2387, 2391, 2395 खेत किता 18 कुल रकबा 5.6575 हैक्टेयर होकर स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 5 एवं अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की आराजी मौजा पीठ में खाता संख्या 71, खसरा संख्या 2157, 2158, 2159, 2193, 2196, 2197, 2198, 2209, 2242, 2402, 3516/2243 होकर स्थित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 6 के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा पीठ मे कमशः खाता संख्या 377 खसरा संख्या 2372, 2386 जिसमें प्रार्थीगण का रिकॉर्डेड कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है।

कमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी कॉलम सख्या दो मे अंकित खसरा संख्या 2244, 2245, 2246, 2247, 2248 2249, 2251, 2252, 2253, 2353, 2354 में खेती करते आ रहे है। प्रार्थी संख्या 2 ने पारिवारिक बंटवारे में अपने हिस्से में आई भूमिं पर मकान बनाकर उसमें परिवार सहित निवास किया जा रहा है। प्रार्थी संख्या 5 के कब्जे काश्त की कॉलम संख्या दो में अंकित भुमि खसरा संख्या 3516/2243, 2242 हैक्टेयर में काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थी संख्या 6 के खसरा संख्या 2372, 2386 में समस्त प्रार्थीगण गांव की मुख्य आबादी भूमि में स्थित मुख्य सडक उत्तर–दक्षिण सीमलवाडा–पीठ मार्ग खसरा संख्या 2228/2 से होकर आराजी संख्या 2228/1 किस्म रास्ते की भुमि से होकर पूर्व दिशा की ओर अन्दर खातेदारी आराजी संख्या 2239 व 2238 के किनारे पीढीयों से ही करीब 50 वर्ष पुराने 12 फिट के कच्चा ग्रामीण सडक होते हुए। उत्तर दिशा में खसरा संख्या 2240 किस्म रास्ते की भुमि से होकर बिलानाम चारागाह किस्म मगरी भुमि खसरा संख्या 2243 सें अपनी खातेदारी आराजी अंकित खसरा संख्या 2244, 2245, 2246, 2247, 2248 2249, 2251, 2252, 2253, 2353, 2354 व खसरा संख्या 3516/2243, 2242, खसरा संख्या 2372, 2386 में अंकित भूमि में निर्मित मकान व कृषि भूमि में प्रार्थीगण करीब 50 वर्षो से एवं उनके पुर्वज लगातार कृषिं भूमि पर उक्त बिलानाम चारागाह किस्म मगरी भुमि खसरा नम्बर 2243 में होकर आना जाना करते आ रहे है। उक्त खसरा नम्बर 2243 बिलानाम चारागाह किस्म मगरी भुमि के प्रारम्भ में ही दक्षिण दिशा की ओर विपक्षी जुजारसिंह पिता दीपसिंह चौहान निवासी पीठ नाम के व्यक्ति ने जबरन अवैध अतिकमण कर निर्माण सामग्री डालकर गेट व परकोटा लगाकर प्रार्थीगण के अपने खेतों में जाने के मार्ग को अवरूद्ध कर विघ्न उत्पन्न किया है। प्रार्थीगण ने श्री मान न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.01.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खेतों में आने जाने के पीढीयों दर पीढीयों चले आ रहे मार्ग बिलानाम चारागाह भुमि किस्म मगरी खसरा नम्बर 2243 में होकर टेक्टर एवं अन्य साधनों के आने के लिए पहूंच सडक 15 फिट चौडे आम रास्ते को नियमानुसार रिकॉर्ड व नक्शे पैमुद व दर्ज कर प्रार्थीगण को न्याय दिलावे।

जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा तहसीलदार सीमलवाडा को तलब कर कमांक–राजस्व/2021/733 दिनांक 27/01/2021 को जारीं कर मौके स्थिति जानकारी चाही गई। जिस पर तहसील सीमलवाडा के आदेश कमाकं– एलआर/2021/1003 दिनांक 27.01.2021 की पालना कर पटवार हल्का पटवारी मौके पर जाकर मौजा पीठ के खसरा नम्बर 2243 में जुजारसिंह पिता दीपसिंह राजपुत निवासी पीठ द्वारा लोहे का गेट मय परकोटा बनाकर अतिकमण करने की जांच मय राजस्व रिकॉर्ड मौके पर पहूंची उपस्थित मौतबिरान के रूबरू देखा गया। उक्त खसरा नम्बर 2243 रकबा 0.3642 हैक्टेयर किस्म चारागाह मगरी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर 2243 पर प्रतिवादी जुजारसिंह पिता दीपसिंह राजपुत निवासी पीठ द्वारा लोहे का गेट मय पक्का परकोट बनाकर अतिकमण किया गया।

कमशः पेज 3 पर

अधिकारी

उक्त अतिक्रमण चारागाह मगरी भूमि पर है। प्रतिवादी को सरकारी चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने पाबंद किया। प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण हटवा लिये जाने की बात कही गई। तथा मौके से गेट हटाया गया। बाद पर्चा मौका तैयार कर प्रार्थीगण व विपक्षी को पढकर सुनाया गया। सही होना बताया गया। हस्ताक्षर व अंगुठी किये गये। जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रेषित किया गया है।

तहसीलदार सीमलवाडा ने न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट कर क्रमाक/राजस्व/2020–2021/1008 दिनांक 01.02.2021 को लिखा गया कि मौजा पीठ के खसरा नम्बर 2243 में जुजारसिंह पिता दीपसिंह राजपुत निवासी पीठ द्वारा लोहे का गेट मय परकोटा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमण चारागाह भुमि पर से अतिक्रमण हटाने पाबंद किया। प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाया लिये जाने की बात कही गइ। तथा मौके से गेट हटाया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया गया है।

प्रार्थीगण बहस सुनी वक्त बहस प्रार्थना में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिये कि प्रार्थीगण गांव की मुख्य आबादी भूमि में स्थित मुख्य सडक उत्तर–दक्षिण सीमलवाडा–पीठ मार्ग खसरा संख्या 2228/2 से होकर आराजी संख्या 2228/1 किस्म रास्ते की भुमि से होकर पूर्व दिशा की ओर अन्दर खातेदारी आराजी संख्या 2239 व 2238 के किनारे पीढीयों से ही करीब 50 वर्ष पुराने 12 फिट के कच्चा ग्रामीण सडक होते हुए। उत्तर दिशा में खसरा संख्या 2240 किस्म रास्ते की भुमि से होकर बिलानाम चारागाह किस्म मगरी भुमि खसरा संख्या 2243 सें अपनी खातेदारी आराजी अंकित खसरा संख्या 2244, 2245, 2246, 2247, 2248 2249, 2251, 2252, 2253, 2353, 2354 व खसरा संख्या 3516/2243, 2242, खसरा संख्या 2372, 2386 में अंकित भूमि में निर्मित मकान व कृषि भूमि में प्रार्थीगण करीब 50 वर्षो से एवं उनके पुर्वज लगातार कृषि भूमि पर उक्त बिलानाम चारागाह किस्म मगरी भुमि खसरा नम्बर 2243 में होकर आना जाना करते आ रहे है। उक्त खसरा नम्बर 2243 बिलानाम चारागाह किस्म मगरी भुमि के प्रारम्भ में ही दक्षिण दिशा की ओर विपक्षी जुजारसिंह पिता दीपसिंह चौहान निवासी पीठ नाम के व्यक्ति ने जबरन अवैध अतिक्रमण कर निर्माण सामग्री डालकर गेट व परकोटा लगाकर प्रार्थीगण के अपने खेतों में जाने के मार्ग को अवरूद्ध कर विघ्न उत्पन्न किया है। पीढीयों दर पीढीयों चले आ रहे मार्ग बिलानाम चारागाह भुमि किस्म मगरी खसरा नम्बर 2243 में होकर टेक्टर एवं अन्य साधनों के आने के लिए मुख्य सडक से पहूंच सडक गुलाबसिंह के मकान तक 15 फिट चौडे आम रास्ते को नियमानुसार रिकॉर्ड व नक्शे पैमुद व दर्ज किया जाना आवश्यक है।

हमने प्रार्थीगण कीं बहस पर मनन किंया तथा पत्रावली में दस्तावेज समस्त हाल जमाबंदी नकल, नक्शा ट्रेस, ग्राम पंचायत सीसी सडक निर्माण स्वीकृति आदेश, पटवारी पर्चा मौका, तहसीलदार सीमलवाडा की रिपोर्ट अवलोकन किया गया जिससे साबित होता है कि

क्रमशः पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

प्रार्थीगण गांव की मुख्य आबादी भूमि में स्थित मुख्य सडक उत्तर–दक्षिण सीमलवाडा–पीठ मार्ग खसरा संख्या 2228/2 से होकर पूर्व दिशा अन्दर की ओर ग्रामीण सडक होते हुए उत्तर दिशा में खसरा संख्या 2240 रास्ते की भुमि से होकर बिंलानाम मगरी भुमि खसरा संख्या 2243 सें अपनीं खातेदारी आराजी अंकित खसरा संख्या 2244, 2245, 2246, 2247, 2248 2249, 2251, 2252, 2253, 2353, 2354 व खसरा संख्या 3516/2243, 2242, खसरा संख्या 2372, 2374, 2375, 2386 में अंकित भूमि में निर्मित मकान व कृषि भूमि पर प्रार्थीगण मौजा पीठ में 50 वर्षो से एवं उनके पुर्वज लगातार कृषि भूमि पर मुख्य सडक से आराजी संख्या 2228/1 किस्म रास्ते की भुमि से होकर पूर्व दिशा की ओर अन्दर खातेदारी आराजी संख्या 2239 व 2238 के किनारे पीढीयों से ही करीब 50 वर्ष पुराने 12 फिट के कच्चा ग्रामीण सडक होते हुए। उत्तर दिशा में खसरा संख्या 2240 किस्म रास्ते की भुमि से होकर बिलानाम चारागाह किस्म मगरी भुमि खसरा संख्या 2243 होते हुए गुलाबसिंह चौहान के मकान तक 15 फिट चौडे आम रास्ते को नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में पैमुद कर दर्ज किया जाए। तथा मौके पर विपक्षी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जावे।

आदेश

प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण मौजा पीठ में 50 वर्षो से एवं उनके पुर्वज लगातार कृषि भूमि पर मुख्य सडक से आराजी संख्या 2228/1 किस्म रास्ते की भुमि से होकर पूर्व दिशा की ओर अन्दर खातेदारी आराजी संख्या 2239 व 2238 के किनारे पीढीयों से ही करीब 50 वर्ष पुराने 12 फिट के कच्चा ग्रामीण सडक होते हुए। उत्तर दिशा में खसरा संख्या 2240 किस्म रास्ते की भुमि से होकर बिलानाम चारागाह किस्म मगरी भुमि खसरा संख्या 2243 होते हुए गुलाबसिंह चौहान के मकान तक 15 फिट चौडे आम रास्ते को नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में पैमुद कर दर्ज किया जाए। तथा मौके पर विपक्षी द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 18-2-21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा